भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1754

13 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

झारखंड में इस्पात उत्पादन

1754. श्री दीपक प्रकाश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'मेक इन इंडिया' योजना के तहत झारखंड में इस्पात उत्पादन में किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) के तहत कवर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा और स्थिति क्या है; और

(ग) झारखंड में इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ग): विगत 5 वर्षों में झारखंड राज्य में कच्चे इस्पात और कुल तैयार इस्पात के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

उत्पादन	**झारखंड**				
	2020-21 (एमटी)	**2019-20 (एमटी)**	**2018-19 (एमटी)**	**2017-18 (एमटी)**	**2016-17 (एमटी)**
कच्चा इस्पात	15.549	17.209	17.238	17.113	16.326
कुल तैयार इस्पात (नॉन-अलॉय + अलॉय/स्टेनलेस)	14.766	16.499	16.777	17.791	16.950
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमटी=मिलियन टन					

इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण, सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए समर्थकारी माहौल का सृजन करके एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न पहलें निम्नानुसार हैं:-

(i) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(ii) घरेलू रूप से उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।

(iii) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को जारी करना।

(iv) इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।

(v) 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

(vi) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा उद्योग संघों और स्वदेशी इस्पात उद्योग के अग्रणियों सहित विभिन्न हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने के लिए उनके साथ सहभागिता।

(vii) देश में इस्पात के उपयोग और समग्र माँग में वृद्धि करने के लिए रेलवे, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन, नागर विमानन, सड़क परिवहन और राजमार्ग, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों सहित संगत हितधारकों के साथ सहभागिता।

(viii) इस्पात क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और सुकर बनाने के लिए मंत्रालय में परियोजना विकास प्रकोष्ठ की स्थापना।

****